4 भारत में विवाह (Marriage in India)

विवाह को एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में देखा जाता है। दुनिया के लगभग सभी समाजों में यौन सम्बन्धों के नियमन हेतु कुछ संस्थागत नियम पाये जाते हैं जो विवाह के रूप में दो विषमलिंगियों के बीच (आधुनिक संदर्भ में समलिंगियों के बीच भी) समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बन्धों को स्थापित करते हैं। यह संबंध कानून तथा रीति-रिवाजों द्वारा परिभाषित तथा मान्य है। इस संबंध की परिभाषा में न केवल यौन संबंधी व्यवस्था को निर्देशित किया गया है वरन् उन बातों को भी सम्मिलित किया जाता है जो श्रम-विभाजन (Work Division) के अतिरिक्त कर्त्तव्य और विशेषाधिकार से भी संबंधित हैं। विवाह द्वारा उत्पन्न बच्चे विवाहित जोड़ी के वैध बच्चे माने जाते हैं। उत्तराधिकार और वंशक्रम का निर्धारण इसी वैधता द्वारा होता है। अत: विवाह यौन संतुष्टि के साथ ही परिवार की निरंतरता बनाए रखने की एक निश्चित सांस्कृतिक क्रियाविधि है।

भारत के हिन्दुओं में विवाह को एक सामाजिक तथा धार्मिक कर्त्तव्य माना जाता है। इसके तीन उद्देश्य धर्म (कर्त्तव्य), प्रजा (प्रजनन) और रति (यौन सुख) माने गए हैं। अत: कहा जा सकता है कि समाज तथा व्यक्ति दोनों ही दृष्टिकोणों से विवाह महत्वपूर्ण है। विवाह की महत्ता इस बात में भी निहित है कि इससे संतान उत्पन्न होती है। हिन्दुओं में पुत्र प्राप्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है और धार्मिक अनुष्ठानों, विशेषकर श्राद्ध-कर्म जैसे अनुष्ठान जो स्वर्गवासी पूर्वजों की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, में पुत्र की भूमिका अनिवार्य होती है। हिन्दू व्यवस्था में विवाह द्वारा पुरुष गृहस्थ के रूप में आता है। बिना विवाह के पुरुष और महिला दोनों ही अधूरे समझे जाते हैं।

भारत में अन्य समुदायों में भी विवाह को एक अनिवार्य दायित्व माना जाता है। मुस्लिम धर्म में विवाह को ''सुन्नाह'' (दायित्व) माना गया है। जिसे प्रत्येक मुसलमान को पूरा करना आवश्यक है। ईसाई धर्म विवाह को जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानता है तथा पति-पत्नी के परस्पर संबंधों तथा एक दूसरे के प्रति कर्त्तव्यों पर जोर देता है। विवाह के महत्व का इस बात से भी पता लगता है कि बहुत कम पुरुष और महिलाएँ ही अविवाहित पाए जाते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 0.5% महिलाएँ ही अविवाहित हैं।

भारत में विवाह के प्रकार (Types of Marriage in India)

सामान्यत: भारत में विवाह के दो प्रकार अर्थात् एकल विवाह (Monogamy) और बहुविवाह (Polygamy) पाए जाते हैं। बहुविवाह के दो प्रकार हैं, 1. बहुपत्नी (एक पुरुष का एक समय में कई स्त्रियों के साथ विवाह) और 2. बहुपति (एक महिला का एक समय में कई पुरुषों के साथ विवाह)। हिन्दुओं के प्राचीन ग्रंथों में हमें आठ प्रकार के विवाहों का संदर्भ मिलता है:-

1. ***ब्रह्म विवाह–*** हिन्दू विवाह में यह विवाह सबसे उत्तम समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस विवाह में वर को बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से अलंकृत करके कन्यादान कर दिया जाता है। इस विवाह से उत्पन्न पुत्र इक्कीस पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है।
2. ***दैव विवाह–*** इस विवाह में अच्छे कार्य में लगे पुरोहित को अलंकृत करके कन्या दी जाती है। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार यह विवाह भी श्रेष्ठ कोटि के विवाहों में आता है। इस विवाह का यज्ञ के साथ सरोकार होता है। आज की सामाजिक व्यवस्था में दैव विवाह समाप्त हो गये हैं।
3. ***आर्ष विवाह–*** इस विवाह में कन्या का पिता विवाह के इच्छुक ऋषि से एक जोड़ा बैल और एक गाय लेकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। आज न तो ऋषि हैं और न ही ऐसे कन्या के पिता। लेकिन इस प्रकार का विवाह बताता है कि प्राचीन काल में ऋषि भी अपना जीवनयापन कृषि के माध्यम से करते थे।
4. ***प्रजापत्य विवाह–*** इस विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या दान करता है और कहता है, "तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो।" ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की बारह पीढ़ियों को पवित्र कर देती है, यह विवाह भी आज कल प्रचलित नहीं है।
5. ***असुर विवाह–*** विवाह के इस प्रकार में वधू मूल्य स्वीकार किया जाता है। गौतम का कहना है कि जब कन्या के विवाह के बदले में धन लिया जाता है तो यह एक प्रकार से कन्या को बेचना हुआ। इस विवाह की प्रतिष्ठा नहीं है।

6. ***गंधर्व विवाह–*** ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार का विवाह सुन्दर गंधर्वों और कामुक किन्नरियों में होता था। यह विवाह, वस्तुतः प्रेम विवाह था। आजकल यह विवाह अपवाद रूप में नई पीढ़ी में देखने को मिलता है।

7. ***राक्षस विवाह–*** युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता था तो वह राक्षस विवाह कहलाता था। आजकल इस तरह के न तो युद्ध होते हैं और न विवाह। विवाह का यह स्वरूप भी ओझल हो गया है।

8. ***पैशाच विवाह–*** यह विवाह घृणित विवाह है। किसी भी सोयी हुई, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई या सड़क चलती लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करके, जब उसके साथ विवाह कर लिया जाता है तो यह पैशाच विवाह कहलाता है। हिन्दू मान्यता के अनुसार यह विवाह निकृष्ट और अधर्म का पोषक है।

विवाह के ये सब स्वरूप एक तरह के विवाह के मानदण्ड हैं। द्विज जातियों में सामान्यतया दैव और प्रजापत्य विवाह प्रचलित हैं। विवाहों के ये स्वरूप जैसा शास्त्रकारों ने कहा है, वैसा आज नहीं है। समय के अनुसार इनमें परिवर्तन आया है। हमारी समझ में ये स्वरूप केवल शास्त्रकारों के मानस को बताते हैं वास्तविक जीवन में विवाह के इन स्वरूपों में परिवर्तन कर लिया जाता है।

हिन्दू विवाह : एक धार्मिक संस्कार (Hindu Marriage : As a Sacrament)

अन्य नृजातीय समूहों (Racial Groups) की तरह हिन्दू विवाह एक समझौता या धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि इसे धार्मिक संस्कार (Religious Culture) के रूप में स्वीकार किया गया है।

हिन्दू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्थापित करने के लिए इसके निम्न पक्ष महत्वपूर्ण हैं–

1. हिन्दू विवाह का प्रमुख आधार धर्म है, जैसे–
   (a) पत्नी के साथ पंचमहायज्ञ करना आवश्यक माना गया है।
   (b) बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक कार्य सम्भव नहीं है।
   (c) मोक्ष प्राप्ति हेतु संतानोत्पत्ति आवश्यक है।
   (d) विवाह अनेक धार्मिक संस्कारों में एक आवश्यक संस्कार है।
2. हिन्दू विवाह ईश्वर इच्छित बंधन एवं जन्म–जन्मांतर का संबंध माना जाता है जिसे कभी तोड़ा नहीं जाता।
3. ऋणों से उऋण होने तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु विवाह आवश्यक है क्योंकि–
   (a) विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक शर्त है और गृहस्थ आश्रम में ही विभिन्न यज्ञों के माध्यम से उऋण होना सम्भव है।
   (b) बिना विवाह के वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम के कर्तव्य को पूरा नहीं किया जा सकता।
   (c) धर्मशास्त्रों के अनुसार बिना विवाह के मोक्ष संभव नहीं है।
4. इसके अर्न्तगत धार्मिक नियमों एवं कृत्यों की प्रधानता होती है, जैसे–पाणिग्रहण, मंत्रोच्चारण, पुरोहित आदि।

मूल्यांकन (Evaluation)

स्पष्ट है कि हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। परन्तु आधुनिकीकरण के वर्तमान दौर में हिन्दू विवाह की धार्मिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। आज विवाह धार्मिक कृत्यों की पूर्ति हेतु नहीं किया जाता। वरन् मुख्य रूप से मित्रता, आनन्द एवं सहयोग हेतु किया जाता है। तलाक को संवैधानिक एवं सामाजिक मान्यता मिल जाने के कारण हिन्दू विवाह बंधन अब अटूट नहीं रह गया है।

उपरोक्त परिवर्तनों के बावजूद परस्पर विश्वास तथा जीवन साथी के बीच प्रतिबद्धता पहले भी विवाह का मूल तत्व (Basic Element) था और आज भी है। वर्तमान में विभिन्न कारणों से धार्मिक प्रभाव में कमी अवश्य हुई है, परन्तु अभी भी विवाह का एक धार्मिक संस्कार के रूप में महत्व बना हुआ है। आज भी विवाह संस्कार, हिन्दू सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और अधिकांश विवाह धार्मिक रीति–रिवाजों के अनुसार ही सम्पन्न किए जाते हैं। प्रेम विवाह, को–लिविंग या समलैंगिक विवाहों की चर्चाएं विवाह के धार्मिक पक्ष पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, परन्तु यह सीमित परिघटना है। सामान्य रूप से विवाह का धार्मिक पक्ष आज भी महत्वपूर्ण है और जब तक विवाह केवल यौन सन्तुष्टि के उद्देश्य हेतु ही नहीं किया जायेगा बल्कि साथ रहने तथा संतान प्राप्ति के लिए भी किया जायेगा यह धार्मिक संस्कार के रूप में बना रहेगा, भले ही इसके धार्मिक पक्षों का आधुनिकीकरण हो जाए।

हिन्दू विवाह सम्बन्धी नियम व निषेध (Rules and Prohibitions Regarding Hindu Marriage)

भारत में हिन्दू विवाह सम्बन्धी निषेधों में अन्तर्विवाह (Endogamy) और बहिर्विवाह (External Marriage) सम्बन्धी निषेध प्रचलित हैं जिन्हें कुछ क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ देखा जा सकता है।

अन्तर्विवाह के अन्तर्गत जाति अन्तर्विवाह का प्रचलन है और जाति से बाहर विवाह को निषिद्ध किया गया है। परम्परागत रूप से प्रजातीय भिन्नता बनाए रखने, जैन व बौद्ध धर्म के प्रभाव एवं मुस्लिमों से रक्षा के लिए तथा जन्म को अधिक महत्व दिये जाने कारण जातीय अन्तर्विवाह (Caste Intermarriage) प्रचलित हुआ है। परन्तु, वर्तमान में जातीय समूहों के प्रति प्रेम, जातीय एकता बनाए रखने की इच्छा, प्रथानुगत दबाव, पहचान को बनाए रखना, जीवनसाथी के चुनाव में माता–पिता की भूमिका और दहेज प्रथा इसका प्रमुख कारण हैं।

बहिर्विवाह सम्बन्धी निषेधों में गोत्र, प्रवर, पिण्ड, टोटम और ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन देखा जाता है। इसके अन्तर्गत हिन्दुओं

में समान गोत्र, प्रवर या पिण्ड के सदस्यों के बीच विवाह वर्जित है। हिन्दू गोत्र व्यवस्था में यह माना जाता है कि एक गोत्र के सभी लोग एक ही ऋषि पूर्वज की संतान होने के कारण आपस में रक्त सम्बन्धी हैं। प्रवर का तात्पर्य यज्ञ कराने वाले ऋषि से सम्बन्धित लोग जो धर्म के आधार पर भ्रातृक बंधन में बंध जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की तरफ से सात पीढ़ियों और माता की तरफ से पांच पीढ़ियों के लोग सपिण्ड माने जाते हैं। इन सभी में भाई-बहन या रक्त सम्बन्ध होने के कारण इनके बीच विवाह को निषेधित किया गया है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा सगोत्र एवं सप्रवर बहिर्विवाह निषेध को हटाकर केवल सपिण्ड बहिर्विवाह को मान्यता दी गयी है। जनजातियों में समान टोटम समूह के बीच तथा गांव के भीतर विवाह निषिद्ध किया गया है क्योंकि इनके बीच आपसी सम्बन्धों को भाई-बहन का सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है।

अनुलोम विवाह (Hypergamy)

अनुलोम विवाह अंग्रेजी के शब्द 'हाइपरगेमी' का हिन्दी रूपान्तरण है। हाइपर का अर्थ है ऊपर और गेमी का अर्थ है विवाह करना। हाइपरगेमी का पूर्ण अर्थ है-ऊपर विवाह करना। अगर वर वधू से उच्च सामाजिक श्रेणी, वर्ण, जाति, वर्ग अथवा कुल का है तो ऐसा विवाह अनुलोम विवाह या कुलीन विवाह कहलाता है। इस तरह के विवाह प्राचीन भारत में मान्य एवं प्रचलित थे।

मनु तथा **याज्ञवल्क्य** ने ब्राह्मण को चार (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र), क्षत्रिय को तीन (क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र), वैश्य को दो (वैश्य और शूद्र) और शूद्र को एक (केवल अपने शूद्र) वर्ण में विवाह करने की अनुमति की बात कही है। शूद्र वर्ण की लड़की से द्विजों के विवाह को निम्न कोटि का माना जाता था। जैसे-जैसे वर्ण विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित होते गए तथा अन्तर्विवाह की प्रथा फैलती गई वैसे-वैसे अनुलोम विवाह की प्रथा भी समाप्त होती गई।

प्रतिलोम विवाह (Hypogamy)

प्रतिलोम विवाह वह विवाह है, जिसमें वधु उच्च श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति, कुल या वंश की होती है तथा वधू की तुलना में वर निम्न श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति, कुल या वंश का होता है। इस प्रकार एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ब्राह्मण लड़की का विवाह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़के से, क्षत्रिय लड़की का विवाह वैश्य या शूद्र लड़के से तथा वैश्य लड़की का विवाह शूद्र लड़के से होना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्राचीन भारत में ऐसे विवाह मान्यता प्राप्त नहीं थे।

विवाह सम्बन्धी उपरोक्त निषेधों में मुख्यतः जाति अन्तर्विवाह ने सामाजिक सम्बन्धों के दायरे को संकीर्ण बनाकर असमानतामूलक समाज को पुष्ट कर तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बाधक के रूप में क्रियाशील होकर सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध किया है।

मूल्यांकन (Evolution)

लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण आदि के कारण आज अन्तर्विवाह और बहिर्विवाह सम्बन्धी नियम कमजोर हुए हैं। भारत सरकार ने सगोत्र बहिर्विवाह और प्रवर बहिर्विवाह को अमान्य करते हुए केवल पिता की ओर से 5 तथा माता की ओर से 3 पीढ़ियों के बीच सपिण्ड बहिर्विवाह को ही मान्यता प्रदान की है, (हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955) । फलतः सम्पूर्ण भारत में व्यवहार में सपिण्ड बहिर्विवाह और कुछ हद तक गोत्र बहिर्विवाह और ग्राम बहिर्विवाह ही प्रचलित हैं। अन्तर्जातीय विवाह की घटनाएँ सामने आने लगी हैं और इसको सरकार के द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, परन्तु अभी भी अधिकांश हिन्दू विवाह जातीय अन्तर्विवाह के नियमों के आधार पर ही होता है। अतः निष्कर्ष है कि वर्तमान भारत में हिन्दू विवाह सम्बन्धी निषेध से जुड़े कुछ नियम कमजोर पड़े हैं तो कुछ अभी भी जारी हैं।

हिन्दू विवाह में आधुनिक परिवर्तन (Modern Changes in Hindu Marriage)

आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में हिन्दू विवाह के कमोबेश सभी पक्षों में हो रहे परिवर्तन महत्वपूर्ण व विचारणीय हैं जिन्हें निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

1. विवाह से सम्बन्धित धार्मिक कर्तव्यों के पालन के संदर्भ में कमी आई है।
2. पुत्र प्राप्ति के पारम्परिक दृष्टिकोण के संदर्भ में बदलाव आया है।
3. यौन-तुष्टि से सम्बन्धित विचारों के संदर्भ में परिवर्तन देखा जा रहा है।
4. बच्चों के पालन-पोषण के संदर्भ में भी लोगों के दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहे हैं।

तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार के कारण आज धर्म के प्रभाव में ह्रास हुआ है, फलतः विवाह अब धार्मिक कर्तव्य (Religious duty) के पालन हेतु नहीं वरन् आनंद एवं सहयोग के लिए किया जाता है। आज पुत्र और पुत्री दोनों को समान महत्व देने के कारण पुत्र-प्राप्ति विवाह का प्रमुख उद्देश्य नहीं रह गया है। आज एक ऐसा वर्ग भी उत्पन्न हो रहा है जो सन्तानोत्पत्ति को भी आवश्यक नहीं मानता। बहुलता में देखा जाए तो यौन तुष्टि विवाह का मुख्य उद्देश्य अभी भी है। परन्तु कॉल गर्ल, विवाह पूर्व यौन संबंध, को-लिविंग आदि के प्रचलन ने विवाह के इस उद्देश्य की प्रमुखता को भी कमजोर किया है। नर्सरी, किंडर-गार्डेन, किड्स केयर सेंटर, आया आदि की विद्यमानता ने आज बच्चों के पालन-पोषण सम्बन्धी पक्ष को कमजोर किया है।

आज अन्तर्जातीय विवाह और प्रेम विवाह की घटनाएं नगरीय समाज में देखी जाने लगी हैं। शहरों में आया आधुनिक खुलापन और पश्चिमी प्रभावों ने विवाह पूर्व यौन सम्बन्धों तथा सहजीवन के प्रचलन को संभव बनाया है। स्वीडन, नॉर्वे आदि पश्चिमी देशों की तर्ज पर यहाँ भी समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने की मांग उठने लगी है तथा कलकत्ता के एक स्वयं सेवी संगठन द्वारा इस प्रकार के विवाह को वैध बनाने की मांग की गयी है। आधुनिक शिक्षा और जागरुकता के कारण बाल विवाह की ओर झुकाव कम हुआ है तथा विवाह की आयु में वृद्धि, स्वावलंबी होने तक विवाह का विरोध, दम्पति के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वस्थ संतान तथा योग्य जीवनसाथी के चयन में सुविधा जैसी बातें विवाह के विलम्ब के लिए उत्तरदायी हैं। आज विधवा पुनर्विवाह की संख्या बढ़ी है हालांकि अभी भी इनकी संख्या कम है। स्त्रियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु, अनैतिक व्यभिचार रोकने हेतु, उनके बच्चों को अनाथ होने से बचाने हेतु तथा उनको समानता एवं न्याय दिलाने हेतु आज विधवा विवाह को सामाजिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोण से आवश्यक समझा जाने लगा है।

आज विवाह को आजीवन बंधन मानने की प्रवृत्ति कमजोर हुई है। विवाह-विच्छेद को कानून व समाज द्वारा मान्यता मिल जाने से विवाह का स्थायित्व दुष्प्रभावित हुआ है और तलाक दर में वृद्धि हुई है। आज अन्तर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम कमजोर हुए हैं तथा जीवनसाथी के चुनाव में माता-पिता की भूमिका घटी है। आज विवाह सम्बन्धी रीति-रिवाजों और रस्मों का आधुनिकीकरण हो रहा है। इसमें इंटरनेट, अखबारों व संचार के अन्य साधनों का प्रयोग किया जा रहा है तथा आज शादी के पहले भी लड़कियाँ, लड़कों से मिल रही हैं। पश्चिमी समाज के डेटिंग के तर्ज पर विवाह से पूर्व मिलकर अपने जीवनसाथी की उपयुक्तता जाँचने के प्रवृत्ति बढ़ रही है।

हिन्दू विवाह में परिवर्तन के कारण (Causes for Change in Hindu Marriage)

विवाह रूपी संस्था में हो रहे ये आधुनिक परिवर्तन (Modern Change) कई कारकों के संयुक्त परिणाम हैं। जिन्हें निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है-

1. आधुनिक शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रसार से विवाह सम्बन्धी पारम्परिक मान्यताएं कमजोर हुई हैं, साथ ही विवाह के धार्मिक एवं सांस्कारिक महत्व में कमी आई है।
2. नगरीकरण एवं औद्योगीकरण में वृद्धि के साथ लोगों की स्वायत्तता (Autonomy) व आर्थिक निर्भरता में वृद्धि हुई है।
3. वैधानिक प्रावधानों के कारण विवाह सम्बन्धी निषेधों में कमी आई है और जीवनसाथी के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत हुआ है।
4. आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण व संचार क्रांति ने उपयुक्त जीवन साथी को खोजना सहज बनाया है।
5. महिलावादी आंदोलनों (Feminist Movements) ने महिलाओं को अपनी पहचान एवं स्वतंत्रता हेतु प्रेरित किया है।

मूल्यांकन (Evaluation)

स्पष्ट है भारत में हिन्दू विवाह के सभी पक्षों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इन परिवर्तनों में समरूपता (Similarity) नहीं है। कोई पक्ष अधिक परिवर्तित हुआ है तो कोई कम। साथ ही इसमें अधिकांश परिवर्तन शहरों में ही परिलक्षित (Reflected) होते हैं और गांवों में कम मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। जातीय या वर्गीय आधार पर भी अंतर देखा जा सकता है। साथ ही इन परिवर्तनों से यह भी स्पष्ट होता है कि जहाँ भारतीय जनमानस में परम्परा से जुड़े रहने की प्रवृत्ति है वहीं वे परम्परा में अनुकूलनकारी परिवर्तन (Adaptive Change) की इच्छा भी रखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन हो जाना अथवा विधवा-विवाह को वैधानिक प्रयासों के बावजूद उसे पूर्ण सामाजिक मान्यता प्राप्त न होना इस तथ्य की पुष्टि करता है। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि भारत में विवाह को कई कारकों ने प्रभावित किया है। यह एक अनुकूलनकारी प्रक्रिया (Adaptive Process) के रूप में ही क्रियाशील है, साथ ही यह अपने परम्परागत तत्वों की निरंतरता को भी बनाये रखने का प्रयास कर रहा है, जिसको आज विवाह में अनुष्ठानिक रीति-रिवाजों की विद्यमानता तथा जाति अन्तर्विवाह के नियमों के रूप में देखा जा सकता है।

भारत में अन्तर्जातीय विवाह (Inter Caste Marriage in India)

सभी समाजों में विवाह से सम्बन्धित कुछ नियम पाये जाते हैं। अन्तर्विवाह हिन्दू विवाह से सम्बन्धित प्रमुख नियम है, जहाँ प्रत्येक हिन्दू से अपनी ही जाति में विवाह करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु आधुनिकीकरण के इस दौर में अन्तर्विवाही नियमों का उल्लघंन और अन्तर्जातीय विवाह एक नवीन घटना के रूप में दृष्टिगत हुआ है। जिसने हिन्दू समाज में समायोजन की समस्या को उत्पन्न किया है। यद्यपि हिन्दुओं में अनुलोम विवाह के रूप में प्राचीन काल से ही अन्तर्जातीय विवाह देखने को मिलते हैं। तथापि, ब्राह्मण काल से लेकर आधुनिक हिन्दू समाज मुख्यत: अन्तर्विवाही ही रहा है। पहली बार 1872 के अधिनियम द्वारा 'अपना कोई धर्म नहीं' की घोषणा द्वारा अन्तर्जातीय विवाह को संभव बनाने का प्रयास किया गया, जिसे हिन्दू विवाह वैधकरण अधिनियम, 1949 द्वारा पुष्ट कर दिया गया।

अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाले कारक (Factors to Encouraging Inter Caste Marriage)

ब्रिटिश शासन की दो शताब्दियों के दौरान अनेक ऐसे कारक भारतीय समाज में क्रियाशील हुए जिनके प्रभाव के फलस्वरूप अन्तर्विवाह के प्रतिबन्ध धीरे-धीरे दुर्बल होने लगे और हमारा

झुकाव अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके लिये कई कारक संयुक्त रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं-

1. पाश्चात्य शिक्षा के कारण सामाजिक मूल्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। साथ ही भारत में एक सांस्कृतिक समानता (Cultural Equality) उत्पन्न हो सकी है। जिससे विभिन्न जातीय समूह एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये और अन्तर्जातीय विवाह के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ।
2. छापेखाने तथा यातायात और संचार के साधनों में उन्नति से भी विभिन्न समुदाय, धर्म और जाति के लोग एक-दूसरे के निकट आ गए, क्योंकि इसने सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) बढ़ाने में मदद की।
3. प्रिटिंग प्रेस, परिवहन एवं संचार साधनों में उन्नति के साथ विभिन्न देशों में प्रजातन्त्रवाद का ज्ञान और शिक्षा के विस्तार के कारण उत्पन्न समानता की भावना ने जात-पात के आधार पर ऊँच-नीच की भावनाओं को कमजोर बनाया।
4. औद्योगीकरण के साथ नगरों का भी विकास हुआ, जहाँ प्रायः सभी जातियाँ और प्रान्त के लोग साथ-साथ मिलकर रहने और काम करने लगे। ऐसी परिस्थिति में एक-दूसरे के प्रति सहनशीलता तथा धर्म और जाति के प्रति निरपेक्षता बढ़ती गई, इससे अन्तर्जातीय विवाह को काफी प्रोत्साहन मिला।
5. भारतीय स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय आंदोलन ने भी अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने और एक साथ जेल जाने से विभिन्न जातियों में एक भावना की जागृति हुई। यह अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हुई है।
6. महिलाओं में शिक्षा का विकास और उनको पुरुषों के समान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त होने के साथ-साथ जात-पात के आधार पर उनके ऊपर लगाए हुए विवाह- सम्बन्धी प्रतिबन्ध धीरे-धीरे निर्बल होते जा रहे हैं।
7. वैज्ञानिक ज्ञान के बढ़ने के साथ ही यह बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी जाति या प्रजाति (Caste) आज शुद्ध नहीं है और उनमें ऊँच-नीच का भेदभाव मनुष्य की रचना है। जिसका कि कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है।
8. भारत में अत्यधिक दहेज के कारण लड़कियों और लड़कों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में युवक और युवतियों को अपने विवाह सम्बन्ध में निर्णय करने का अवसर मिल जाता है और माता-पिता दहेज बचाने के लिये स्वयं अन्तर्जातीय विवाह करने को तैयार हो जाते हैं।
9. स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलना, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक गतिशीलता का बढ़ना, सह-शिक्षा, नारी और पुरुष को एक साथ कारखाने आदि में काम करने की सुविधा आदि के कारण प्रेम-विवाह का प्रचलन भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है।
10. ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने धार्मिक आधार पर समाज सुधार का जो आन्दोलन चलाया उससे जात-पात और छुआछूत पर ही कुठाराघात नहीं हुआ बल्कि स्त्रियों की दशा सुधारने का उनका प्रयास परोक्ष रूप से अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में सहायक बना।
11. विभिन्न कानूनों द्वारा भी अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिला है। 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पास हुआ और 1923 में संशोधित हुआ। जिससे अन्तर्जातीय विवाह की वैधानिक अड़चनें दूर हो गईं और सभी हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख और जैनों में अन्तर्जातीय विवाह वैध हो गए। हिन्दू-विवाह वैधकरण अधिनियम, 1949 में पास हुआ। इसके अनुसार, इस अधिनियम के पहले और बाद में विभिन्न धर्मों, जातियों, उपजातियों और सम्प्रदायों के व्यक्तियों में होने वाले विवाहों को मान्यता दे दी गई। यह भारत के समस्त हिन्दुओं पर, जिनमें सिक्ख और जैन भी सम्मिलित हैं, लागू होता है।

उपर्युक्त कारणों से आज हिन्दू-विवाह का परम्परागत स्वरूप (Traditional Form) विघटित हो रहा है और अन्तर्जातीय विवाह के अनुकूल वातावरण की सृष्टि हो रही है।

अन्तर्जातीय विवाह से लाभ
(Benefits of Inter Caste Marriage)

अन्तर्जातीय विवाहों के निम्नलिखित लाभ हैं जैसे-

1. अन्तर्जातीय विवाह के द्वारा जीवन-साथी के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और योग्य जीवन-साथी के चुनने में काफी सरलता होती है।
2. दहेज प्रथा को रोकने या समाप्त करने के लिये भी अन्तर्जातीय विवाहों की वृद्धि आवश्यक है। इस प्रथा का महत्व मुख्यतः उस समाज में होता है जहाँ जीवन साथी का चुनाव क्षेत्र सीमित या जहाँ उचित वरों की अत्यधिक कमी के कारण, उनको प्राप्त करने के लिये लड़कियों के अभिभावकों में प्रतियोगिता होती रहती है।
3. बहुत ही सीमित समूह के अन्दर ही विवाह करने से वंशानुक्रमण (Inheritance) के गुण दिन-प्रतिदिन घटते जाते हैं और अच्छी संतानों की संख्या कम होती जाती है। अन्तर्जातीय विवाहों के होने से नए और उत्तम वाहकाणुओं का आयात बाहरी परिवारों से सम्भव हो जाता है जिससे उत्तम सन्तान उत्पन्न होने लगती है।
4. अन्तर्जातीय विवाह के प्रचलित होने से जीवन-साथी चुनने का क्षेत्र बढ़ जायेगा और दहेज-प्रथा भी समाप्त हो जायेगी। इसके फलस्वरूप बाल-विवाह और विधवा-विवाह से सम्बन्धित समस्याएँ स्वतः हल हो जायेंगी।
5. विभिन्न विद्वान जातिवाद की समस्या को हल करने में अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने पर बल देते हैं। अगर

विभिन्न जाति के लड़कों और लड़कियों को अन्तर्जातीय विवाह के द्वारा एक-दूसरे के निकट आने का अवसर दिया जायेगा तो जाति-प्रथा उपेक्षित होगी और जातिवाद के विरोध में आवाज उठने लगेगी।

6. आज भारत असंख्य समूहों में विभाजित है। इन समूहों में कोई एक सामान्य आधार नहीं है जिसके बल पर वे एक-दूसरे के निकट आ सकें। अन्तर्जातीय विवाह इन समूहों को एक साथ लाने का आधार दे सकता है।
7. अन्तर्जातीय विवाह से बाल विवाह बहुत घट जायेंगे और जनसंख्या की समस्या का एक स्वाभाविक हल मिल सकेगा।

भारत में विवाह-विच्छेद की समस्या (Problem of Divorce in India)

विवाह-विच्छेद वैवाहिक सम्बन्धों का वैधानिक अंत है, यद्यपि यह अंत अदालत के हस्तक्षेप के बिना भी संभव होता है। परम्परागत हिन्दू समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तहत हमारे यहाँ विवाह-विच्छेद को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी है। इस घटना के भारतीय समाज पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव परिलक्षित होते हैं। एक तरफ इसने विवाह-विच्छेद की दर में वृद्धि कर पारिवारिक विघटन (Family Dissolution) एवं बच्चों के पालन-पोषण की समस्या को उत्पन्न किया है तो वहीं दूसरी तरफ स्त्रियों को विवाह-विच्छेद की स्वतंत्रता देकर उनकी प्रस्थिति (Status) में सुधार किया है।

भारत में विवाह-विच्छेद की दर में वृद्धि की इस घटना के लिए कई कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; जैसे-

1. आधुनिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता) का प्रसार।
2. आधुनिक शिक्षा का प्रसार।
3. औद्योगीकरण एवं नगरीकरण।
4. वैधानिक व्यवस्था।
5. स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता में कमी।
6. विवाह एवं परिवार के प्रकार्यों (Function) को पूरा करने वाले नवीन वैकल्पिक संस्थाओं का उद्भव।
7. उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार।

भारत में विवाह-विच्छेद की इस बढ़ती प्रवृत्ति ने आज विवाह-विच्छेद के अधिकार के संदर्भ में एक विवाद को उत्पन्न किया है। जिसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देकर निम्नलिखित प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है।

विवाह-विच्छेद विरोधियों का मानना है कि विवाह-विच्छेद अनुचित है और इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने अपने समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिये हैं-

1. विवाह-विच्छेद हिन्दू धर्म के विरुद्ध है क्योंकि विवाह-विच्छेद का अधिकार विवाह के संस्कारिक महत्व को समाप्त कर देता है।
2. विवाह-विच्छेद के पश्चात् अलग हुये लोग यौन तुष्टि के लिये अन्य विकल्पों का प्रयोग करते हैं फलतः अनैतिकता (Immorality) को प्रोत्साहन मिलता है।
3. विवाह-विच्छेद से पति-पत्नी अलग हो जाते हैं और बच्चे उनमें से किसी एक के पास रहने लगते हैं। यह स्थिति पारिवारिक विघटन को जन्म देती है।
4. हिन्दू समाज में स्त्रियाँ सामान्यतः पुरुषों पर निर्भर रहती हैं अतः विवाह-विच्छेद स्त्रियों के समक्ष आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करता है।
5. इससे बच्चों के पालन पोषण की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि विवाह-विच्छेद के बाद उनको पूरा परिवार नहीं मिल पाता है।

दूसरी ओर विवाह-विच्छेद के समर्थकों के अनुसार विवाह-विच्छेद उचित है और इसका अधिकार मिलना चाहिए। इन लोगों ने अपने समर्थन में निम्न तर्क दिए हैं-

1. विवाह-विच्छेद के अधिकार से स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार होता है और उनको पुरुषों की तरह समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त होते हैं।
2. विवाह-विच्छेद द्वारा दुःखी वैवाहिक जीवन का समापन होता है।
3. विवाह-विच्छेद समानता के सिद्धांत पर आधारित है।
4. विवाह-विच्छेद हिन्दू विवाह के नियमों में सन्तुलन उत्पन्न करता है।
5. विवाह-विच्छेद गतिशील समाज (Dynamic Society) की आवश्यकता को पूरा करता है।

मूल्यांकन (Evaluation)

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवाह-विच्छेद की दर में वृद्धि, विवाह एवं परिवार से सम्बन्धित एक नवीन वैश्विक घटना है, जो कई कारकों का संयुक्त परिणाम रहा है। यद्यपि स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय के संदर्भ में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हेतु विवाह-विच्छेद का कानूनी प्रावधान किया गया है तथा इसे एक आधुनिक समस्या के रूप में देखा जा रहा है, जिसने कई प्रकार के दुष्परिणामों को उत्पन्न किया है। यह सही है कि कानून द्वारा प्रदान किए गए इस विवाह-विच्छेद के अधिकार को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है और समतामूलक समाज की स्थापना हेतु इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, परन्तु यह भी तथ्य है कि विवाह-विच्छेद की बढ़ती दर और इसके दुष्परिणामों के कारण इस दिशा में कुछ सर्तकता बरतने की आवश्यकता है; जैसे-

1. विवाह-विच्छेद की अनुमति अदालत द्वारा गंभीर परिस्थितियों में ही देनी चाहिए।
2. विवाह-विच्छेद की अनुमति देते समय स्त्रियों की आर्थिक समस्या को ध्यान में रखना चाहिए।
3. बच्चों के पालन-पोषण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. दंपत्ति को आपस में समतामूलक व्यवहार करते हुए तथा पारस्परिक सहयोग बनाए रखते हुए छोटे-छोटे विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए।
5. विवाह-विच्छेद के पक्ष में जनमत तैयार किया जाना चाहिए।

भारत में समलैंगिकता (Homosexuality in India)

हाल के वर्षों में समलैंगिकता का मुद्दा भारत सहित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद के ज्वलंत मुद्दे के रूप में काफी चर्चित रहा है। समलैंगिकता का आशय समान लिंग के प्रति भावनात्मक व शारीरिक आकर्षण से है। यह समान लिंगियों में पायी जाने वाली लैंगिक आकर्षण प्रवृत्ति का परिचायक है। जो पुरुष-पुरुष या नारी-नारी के मध्य पाया जाता है। किसी पुरुष द्वारा अन्य पुरुष/पुरुषों के प्रति लैंगिक आकर्षण के सन्दर्भ में ऐसे पुरुषों को 'गे' तथा किसी महिला द्वारा अन्य महिला/महिलाओं के प्रति लैंगिक आकर्षण के सन्दर्भ में ऐसी महिला को 'लेस्बियन' कहा जाता है।

यद्यपि लैंगिक आकर्षण प्राणी की एक मूल प्रवृत्ति रही है, परन्तु विपरित लिंगी के प्रति आकर्षण को ही सामान्य स्वीकृति दुनिया के अधिकांश समाजों में ऐतिहासिक रूप से प्रचलित रही है, तथापि प्राचीन काल से ही समलैंगिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की विद्यमानता कमोवेश प्राय: हर काल में रही है। समलैंगिकता की चर्चा क्लासिकल ग्रीक-रोमन सभ्यता के साथ-साथ भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में भी रही है। पुनर्जागरण (Renaissance) के दौरान इटली के कई सम्पन्न नगर जो कि समान लिंगियों के यौन सम्बन्धों के प्रचलित केन्द्र थे, में भी इस तरह के कई दृष्टांत पाये गये हैं। यद्यपि इसे सामाजिक रूप से कभी भी स्वीकृति नहीं मिली। फिर भी छुपे तौर पर कुछ एक उदाहरण प्राय: हर काल में मिले हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के अधिकांश भागों में तो समलैंगिकता के लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया गया था।

हाल में अमेरिकी सेना में समलैंगिकों की बहाली के साथ तथा यूरोप के कई राष्ट्रों तथा अमेरिका के कई राज्यों में समलैंगिक विवाह को कानूनी स्वीकृति तथा वैध घोषित किये जाने के पश्चात् यह मुद्दा पूरे विश्व के समक्ष चर्चा का विषय बना है कि- क्या यह जायज है? इसी विमर्श को आगे बढ़ाते हुए इंग्लैंड ने भी समलैंगिक विवाह को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

समलैंगिकता का मूल कारण तो प्राकृतिक है, परन्तु इसका सर्वाधिक दुष्परिणाम विवाह नामक संस्था के समक्ष चुनौती के रूप में उपस्थित हुआ है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में समलैंगिक रिश्तों के परिणामस्वरूप यौन सम्बन्धी बीमारियों यथा एड्स, गोनोरिया, सिफलिस तथा अन्य जैविक समस्याओं की पुष्टि की गयी है।

हाल के कुछ वर्षों में समलैंगिकता को लेकर एक आश्चर्जनक उत्साही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। जिसके समर्थन में कई गैर-सरकारी संगठनों सहित तमाम समुदाय व कुछ उदार कहे जाने वाले व्यक्ति खड़े हो रहे हैं। समलैंगिकों के हितों के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाली 'नाज फाउंडेशन' नामक संस्था तो बाकायदा समलैंगिकों के अधिकारों और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है।

नाज फाउंडेशन की याचिका पर वर्ष 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आया कि यदि दो वयस्क आपसी सहमति से समलैंगिक रिश्ता बनाते हैं तो यह सेक्शन 377 आईपीसी के अन्तर्गत अपराध नहीं होगा। इस फैसले के बाद समलैंगिकता के समर्थकों ने जिस तरह का उन्माद, जश्न और उत्सव पूरे देश में मनाया, गे-प्राइड परेडें निकाली, वह कई बातों पर सोचने के लिए विवश करता है। समलैंगिकता के विरोधियों की चिंता यह है कि समलैंगिकता को जिस तरह रूमानी अंदाज में पेश किया जा रहा है, उससे कहीं जिसे विकार के रूप में लिया जाना चाहिए, उसे समाज सहज रूप में न ले बैठे, अन्यथा भविष्य में समाज में कई बीमारियाँ और कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उल्लेखनीय है किसी विषय को मुद्दा बनाने से लोगों में उसको जानने-समझने का कौतूहल एवं उत्सुकता बढ़ती है, जो कि उस बात का प्रचार करती है।

समलैंगिकता के विरोधी मानते हैं कि 'समलैंगिक व्यभिचार' (Homosexual Adultery) मूल रूप से उन व्यक्तियों से संबंधित होता है जिन्होंने मनोरंजन और विलास की सारी हदें पार कर ली हों, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर कुछ नया करने को चाहिए, यही कारण है कि विदेशी संस्कृति में समलैंगिक व्यवहार आम चलन में मौजूद है। समलैंगिकता पश्चिमी रीति-रिवाजों में इस तरह समाहित है कि वहाँ पर इसे सहज रूप से स्वीकार किया जाने लगा है। पश्चिमी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, नौकरशाह, अभिनेता, अभिनेत्रियों सहित व्यापार जगत की बड़ी हस्तियाँ समलैंगिकता नामक उन्मुक्त पाश्विक व्यभिचार में लिप्त पायी जाती हैं। किन्तु भारत के सन्दर्भ में ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी भयावह और खतरनाक है।

उपरोक्त चर्चा को देखते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखने या इसे केवल मानसिक विकृति और बीमारी के रूप में परिभाषित कर सुधारात्मक या दंडात्मक कार्यवाही के औचित्य पर विचार विमर्श आवश्यक है ताकि इस सन्दर्भ में समाज को सही दिशा दी जा सके।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा (समलैंगिकता) को घोर अपराध की श्रेणी में रखती है और इसके लिए कठोर दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहमति के आधार पर स्थापित समलैंगिक

संबंधों को कानूनी मान्यता देकर तथा सरकार को आई.पी.सी. की धारा 377 में आवश्यक संशोधन का निर्देश देकर समलैंगिकता संबंधी विवाद को हवा दे दी।

वस्तुत: समलैंगिकता संबंधी इस विवाद की जड़ों को कानून एवं नैतिकता के अन्तर्विरोध में आसानी से देखा जा सकता है। इस विवाद के संबंध में England में 1958 में Wool Findal कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि जब तक किसी समस्या के प्रति समाज आक्रोशित नहीं होता, उसके विरुद्ध कानून बनाकर उक्त समस्या को अपराध घोषित करना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे कानून सामाजिक स्वीकृति (Social Acceptance) प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

जहाँ तक समलैंगिकता का भारतीय संदर्भ का प्रश्न है तो प्रारम्भ से ही इसे अनैतिक क्रिया के रूप में देखा जाता रहा है और चूंकि समलैंगिकता के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, प्रभावस्वरूप भारत में भी इसके समर्थकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि आज भी भारत में समलैंगिकता के समर्थकों की संख्या नगण्य है। जहाँ तक सरकार द्वारा धारा 377 में आवश्यक संशोधन के सन्दर्भ में न्यायालय का पक्ष है वह भी महत्वपूर्ण है कि इस धारा का प्रयोग अधिकतर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने हेतु किया गया है। अत: यह इस धारा में संशोधन आवश्यक है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के दायरे बाहर करके इसको मान्यता दे दी है। परन्तु इस संदर्भ में जरूरी है कि इसके पक्ष में जनमत का भी निर्माण किया जाय।

भारत में विवाह : संभावित प्रश्न
(Marriage in India : Possible Questions)

1. समलैंगिकता क्या है? क्या यह उपयुक्त है? इसके दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए।
2. समलैंगिकता ने विवाह जैसी संस्था पर प्रश्न-चिह्न खड़ा किया है। चर्चा करें।
3. सरोगेसी क्या है? क्या इसे व्यापक स्वीकृति मिलनी चाहिए? अपने विचार प्रस्तुत करें।
4. भारत में विवाह कानून में हुए नवीन परिवर्तनों ने जहां एक तरफ भारतीय महिलाओं को सशक्त किया है तो दूसरी तरफ विवाह-विच्छेद की दर में वृद्धि की सम्भावना को पुष्ट करके महिलाओं के समक्ष नवीन चुनौती भी प्रस्तुत की है। चर्चा कीजिए।
5. भारत में अंतर्जातीय विवाह की नवीन प्रकृति पर चर्चा करें।
6. भारत में 'लिव-इन-रिलेशनशिप' की बढ़ती प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति में विखंडन को संभव बनाया है। चर्चा करें।

✪✪✪✪✪